

New Delhi, the 15th September 2017

To
The Chief of the Army Staff
The Chief of the Naval Staff
The Chief of the Air Staff

Subject: Recommendations of the Seventh Central Pay Commission- Implementation of decision relating to Special Allowance for child care for women with disabilities.

Sir

I am directed to refer to this Ministry's letter No. 1(66)/2008/D(Pay/Services) dated 23rd June, 2009 and to say that consequent upon the decision taken by the Government on the recommendations made by the Seventh Central Pay Commission for providing extra benefits to women employees with disabilities especially when they have young children and children with disability, the provisions of Ministry of Personnel, P.G. and Pensions (Department of Personnel & Training)'s letter No.A-27012/03/2017-Estt.(AL) dated 16th August, 2017 (copy enclosed) will be mutatis mutandis applicable to Armed Forces personnel.

2. These orders shall be effective from 1st July, 2017.

3. This issues with the concurrence of Ministry of Defence (Finance) vide their Dy. No. 414/AG/PD/2017 dated 13.09.2017.

Yours faithfully,


(Prashant Rastogi)

Under secretary to the Govt. of India

Encl. As above

Copy to:

Director (Finance/AG)

Army HQrs -AG/PS-3(a) & PS-3(b)

Air HQrs/Dto. of Accts (P&A)

CDA, New Delhi

PCDA(P), Allahabad

PCDA (Northern Command) Jammu

PCDA (Southern Command), Pune

CDA (Eastern Command), Kolkata

CDA(AF), West Block, RK Puram

CDA, Bangalore

CDA, Chennai

CDA, Jabalpur

CDA, Secundrabad

Director of Accounts (Postal), APS Accounts Section, Nagpur

CDA, Kolkata

DGA(DS), New Delhi

Naval Headquarters/DPA

PCDA(HQ) New Delhi

PCDA (Western Command), Chandigarh

PCDA (Central Command) Lucknow

PCDA(Navy) Mumbai

CDA(O), Pune

Dy. CDA(AF), Subroto Park, ND

CDA, Patna

CDA, Guwahati

CDA(Army), Meerut Cantt

सं.ए-27023/03/2017-स्था. (भत्ता)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

नई दिल्ली, 16 ^{अगस्त} जुलाई, 2017

कार्यालय जापन

विषय: सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों- दिव्यांग महिलाओं के लिए बच्चे की देखभाल हेतु विशेष भत्ते से संबंधित निर्णयों का क्रियान्वयन।

दिव्यांग महिलाओं को, विशेषकर ऐसी स्थिति में जब उनके बच्चे छोटे और दिव्यांग हों, अतिरिक्त लाभ प्रदान करने हेतु सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के परिणामस्वरूप, राष्ट्रपति निम्नलिखित अनुदेश जारी करते हैं:-

- (i) दिव्यांग महिलाओं को बच्चे की देखभाल हेतु विशेष भत्ते के रूप में प्रतिमाह 3000/- रुपये का भुगतान किया जाएगा। यह भत्ता बच्चे के जन्म से उसके दो वर्ष का होने तक देय होगा।
- (ii) यह अधिकतम दो जीवित बच्चे हेतु देय होगा।
- (iii) दिव्यांगता का अर्थ है न्यूनतम 40% दिव्यांगता वाला व्यक्ति जैसा कि कल्याण मंत्रालय की समय-समय पर संशोधित दिनांक 01.06.2001 की अधिसूचना सं. 16-18/97-एनआई-1 में विस्तार से बताया गया है।
- (iv) उपर्युक्त सीमा, संशोधित वेतन संरचना में मंहगाई भत्ते में 50% तक की वृद्धि होने पर स्वतः 25% बढ़ जाएगी।

2. ये आदेश दिनांक 1 जुलाई, 2017 से लागू होंगे।

3. जहां तक भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में कार्यरत व्यक्तियों का संबंध है, ये आदेश भारत के महालेखा परीक्षक के परामर्श से जारी किए जाएंगे।



(नवनीत मिश्रा)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में:

भारत सरकार के मंत्रालय/विभाग